**UPMO010073702026**

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, मुरादाबाद**

**पीठासीन अधिकारी-** (अनिल कुमार-IV)**, (उ०प्र० न्यायिक सेवा ) - UP06124**

**अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2287/2026**

नितेश उम्र लगभग 34 वर्ष पुत्र नरेश कुमार सिंह, निवासी नेता कॉलोनी जयन्तीपुर रोड़, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या–539/2026,
धारा–109(1),191(2),308(2),352,351(3) बी०एन०एस०
थाना–मझोला, जिला–मुरादाबाद।

1– आवेदक/अभियुक्त नितेश द्वारा इन आधारों पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसे उपरोक्त वाद में रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। उसका उपरोक्त मुकदमें में दर्शायी गयी कथित घटना से कोई भी वास्ता व ताल्लुक नहीं है। वह निर्दोष है तथा उस पर लगाये गये आरोप मनगढन्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हैं, जिनमें कोई भी सत्यता नहीं है। उक्त मुकदमें की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी थी एवं उसका नाम पुलिस द्वारा जबरन नफा नाजायज कमाने के उद्देश्य से प्रकाश में लाया गया है। वास्तविकता यह है कि उक्त मुकदमें के वादी मुकदमा से पार्किंग के पैसों का लेकर झगड़ा हो गया था जबकि पार्किंग का कार्य सह–अभियुक्त शंकर करता है, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा कि वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उपरोक्त घटना के समय वह मौके पर नहीं था और न ही उसने किसी प्रकार की कोई मारपीट आदि की है। उक्त मुकदमें की घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। उक्त मुकदमें की घटना को रंग देने के उद्देश्य से बढ़ा–चढ़ाकर लिखाया गया है। वह उपरोक्त वाद के विचारण में सहयोग करेगा तथा गवाहों को डरायेगा–धमकायेगा नहीं। वह न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जायेगा। वह पूर्व में दोषसिद्ध नहीं है, न ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2026.08.03 18:28:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अंथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित नहीं है और न ही खारिज हुआ है। उपरोक्त वाद में आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात से पुलिस उसके घर दबिश दे रही है तथा उसको गिरफ्तार करके बेइज्जत करना चाहती है। तद्नुसार न्यायहित में उसको अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र समर्थित शपथ पत्र है।

2— अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नरेन्द्र सिंह द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 02.06.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी न्यू दुर्गा कॉलोनी, खुशहालपुर रोड मीरपुर, मझोली, मुरादाबाद का रहने वाला है। प्रार्थी जीवन–यापन करने के लिए पारसनाथ प्लाजा परिसर में पार्किंग चलाता है। शंकर शर्मा नाम का युवक, जो कि चिड़िया टोले का रहने वाला है, आए दिन पार्किंग पर आकर पैसे मांगता है और कहता है कि पार्किंग चलानी है, तो रंगदारी देनी पड़ेगी। पार्किंग को लेकर आज दिनांक 02.06.2026 की रात्रि लगभग 01:30 बजे शंकर शर्मा करीब 10–12 लोगों के साथ प्रार्थी की पार्किंग में आया और गंदी–गंदी गालियां देते हुए उसने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से प्रार्थी व प्रार्थी के गार्ड गौरव पुत्र नामालूम के ऊपर गोली चला दी, जिससे प्रार्थी व गौरव बाल–बाल बच गए। घटना की सूचना पुलिस को फोन करके दी। ये लोग जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गए। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण शंकर शर्मा व 10–12 अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा–109(1), 191(2), 308(2), 352, 351(3) बी०एन०एस० में अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया। अभियोजन के अनुसार इस अभियुक्त के विरूद्ध थाना–मझोला में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0–279/2016, अंतर्गत धारा–302,304बी,498ए भा0दं0सं0 व धारा 3/4 डी0पी0 ऐक्ट तथा मु0अ0सं0–281/2016, अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम का आपराधिक इतिहास भी है।

3— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, वादी मुकदमा द्वारा पार्किंग चलाने के एवज में रंगदारी दिये जाने से मना करने पर आवेदक/अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके गार्ड को गंदी–गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से उनके ऊपर तमंचे से फायर किये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

4— मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विनम्रतापूर्वक सुना तथा पत्रावली का तत्समय सम्यक अवलोकन किया।

5— अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अपना जीवन–यापन करने के लिए पारसनाथ प्लाजा परिसर में पार्किंग चलाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से पार्किंग चलाने के बदले रंगदारी के रूप में पैसों की मांग की गयी तथा रंगदारी दिये जाने से मना करने पर दिनांक 02.06.2026 की रात्रि लगभग 01:30 बजे प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा वादी मुकदमा को उद्दापित करने के लिये मृत्यु के भय में डालते हुए वादी एवं उसके गार्ड गौरव के ऊपर जान से मारने की नियत से गोली चला दी, जिससे वह तथा गौरव बाल–बाल बच गए। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा वादी मुकदमा द्वारा घटना से संबंधित वीडियो फुटेज में घटना कारित करने वालो में आवेदक/अभियुक्त का संलिप्त होना पुलिस को बताया गया है। अभियोजन के अनुसार सह–अभियुक्तगण शंकर शर्मा उर्फ शुभम शर्मा एवं संगम ठाकुर उर्फ मनीष राघव के कब्जे से एक–एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01–01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01–01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है, साक्ष्य संकलित किया जाना शेष है। अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने से आवेदक/अभियुक्त द्वारा साक्ष्य प्रभावित किये जाने की प्रबल सम्भावना है। मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त किसी विधिक अनुतोष, संरक्षण अथवा न्यायिक सहानुभूति का पात्र नहीं है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नितेश द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक– 03–08–2026

(अनिल कुमार–IV)
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 01,
मुरादाबाद।